न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

राजस्व वाद संख्या पुराने 90 / 2022 नये न0 37 / 2022

पीठासीन अधिकारी : सुप्रिया (आर.ए.एस.)

1. जीवणराम पुन घड़सीराम जाति जाट निवासी सेसु तहसील बिसाऊ
2. लिक्ष्मी पत्नी घड़सीराम जाति जाट निवासी सेसु तहसील बिसाऊ जिला झुंझुनूं
3. विमला पत्नी रामकरण जाति जाट निवासी सेसु तहसील बिसाऊ
4. अमीलाल पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी सेसु तहसील बिसाऊ

प्रार्थीगण

बनाम

1– विकास पुत्र रामकरण जाति जाट निवाती सेतू तहतील मण्डावा जिता हुनु ।
2– रेश्मी पुत्री रामकरण पत्नी नगेन्द्र जाति जाट निवासी निराधनु तहसील मलतीतर जिला झुझुनु।
3– अरविन्दकुमार पुत्र खम्भाराम जाति जाट निवासी भीखनसर तहसील मण्डावा जिला झुशनं।
4. इन्दा पुत्री खम्माराम पत्नी महिपाल जाति जाट निवाती लुट्टु तहसील मलतीतर जिला झुझुनूं।
5. किसनी पत्नी श्रीचन्द जाति जाट निवासी भीखनसर तहसीत मण्डावा जिला झुंझुनू
6. चन्द्रावली देवी पत्नी खम्माराम जाति जाट निवाती भीखनतर तहसील मण्डावा
7. पवन पुत्र बिश्वाराम जाति माली निवासी वाडे न 10 बिसाऊ तहतीत बिसाऊ जिता झुंझुनूं
8. मनोजदेवी पुत्री खम्माराम पत्नी सुभाष नाति बाट निवासी ताखलसर जिला सीकर ।
9. राजवीर पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी भीखनसर तहसील मण्डावा जिला झुझुनु ।
10 संजय पुत्र श्रीचन्द निवासी भीखनसर तहसील मण्डावा जिला झुझुनु ।
11. सरोज पुत्री खम्माराम पत्नी सुभाष जाति जाट निवासी लुट्टु तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं ।
12. सुलोचना की खम्मा राम पत्नी प्रमोद जाति जाट निवासी भोजासर तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
13. बैंक अफ बड़ौदा शाखा बिसाऊ तहसील बिसाऊ जिला झुंझूनूं।
14– राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार महोदय तहसील मण्डापा जिला झुंझुनूं।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

निर्णय दिनांक 25.07.2024

संक्षेप मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी न: 01 व 02 की यह खातेदारी की भूमि ग्राम सेसु पटवार हल्का भीखनसर में स्थित है जिसके ख.न. 118 रक्यां 1.72 हैक्टर, ख.न. 171 रकबा 0.51 हैक्टर, कुल रकबा 2.23 हैक्टर है। अप्रार्थी न0 .03 लगायत 12 की सह खातेदारी की भूमि ख.न. 170 रकबा 1.43 हेक्टर, ख.न. 173 रकबा 1.43 हेक्टर कुल 2 कुल रकवा 2.86 हेक्टर है। उक्त भूमि ग्राम हेतु पटवार हल्का भीखनसर में स्थित है।ग्राम सेसु से एक रास्ता कुछ दूरी तक स्टेट लाईन से कटा हुआ तथा कुछ दूरी पर डोटेड लाईन से कटानी रास्ता है जो ग्राम महनसर जाता है उक्त रास्ता ख.न. 170 व 173 में से होकर गुजरता है। ख.न.. 170 व ख.न. 173 के खातेदारान ने उक्त डोटेड लाईन से रास्ता "ए" से "बी" बना रखा है। "बी" से "सी" अर्थात

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

"ए"बी"सी" से प्रार्थीगण हमेशा से अपने खेत में जाते रहे है। उक्त रास्ता एबीसी काफी पुराना रास्ता रहा है प्रार्थीगण व अप्रार्थी न०। व 2 के पूर्वज घड़सीराम पुत्र रामदेवाराम ने भूमि गत खन्न० 190 मे से 20 बीघा भूमि गणेशाराम पुत्र गोमाराम जाति माली से कृय की थी ख.न. 190 में जो भूमि प्रार्थीगण ने खरीदी उसके हाल ख.न. 118 व 171 है उक्त विक्रय पत्र दिनाकं 4–4–70 को तप्तादीक हुआ जिसमें कृ य की गई भूमि की चतुर्थ सीमा दर्ज है तथा चतुर्थ सीमा के नीचे स्पष्ट दर्ज है कि बेची गई भूमि में जाने का रास्ता मेरी बांकी जमीन में होकर है।इस प्रकार पचास साल से अधिक समय है उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थीगण व अप्रार्थी नः1 व 2 कर रहे हैं।अप्रार्थीगण न०3 लगायत 12 ने बी बिन्दु पर प्रार्थीगण व अपार्थी न0 01 व 02 का रास्ता 5 मई 2022 को बी बिन्दु पर तारबन्दी व छीले लगाकर रास्वा अवरुद्ध कर दिया । प्रार्थीगण के खेत में जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है, रास्ते की प्राथीगण व अप्रार्थी न0 01 व 2 को आत्यधिक आवश्कता है रास्ते के अभाव में खेत की बुवाई नहीं की जा सकती।प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विद्यमान रास्ते को पौड़ा करवाने के लिये व बिन्दु बी से सी नया रास्ता कायम करवाने के लिये है । बी से सी बिन्दु रास्ते में जो भूमि जाती है उसके भूमि के बदले डी–एल.सी दर से दुगुनी राशी का भुगतान प्रार्थीगण करने के लिये तैयार है। प्रार्थना पत्र में विद्यमान रास्ता को चौड़ा करवाने व नया रास्ता कायम करवाने के लिये है। अप्रार्थी संख्या 01 व 2 हस्ताक्षर करने के लिये यहां नही है अप्रार्थी न0 01 व 2 का हित प्रार्थीगण के साथ है इसलिये उनको अप्रार्थी न0 01 व 2 बनाया है। प्रार्थना पत्र के साथ नज़री नक्शा पेश किया जा रहा जो प्रार्थना पत्र का हिस्सा है। अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण को बी से सीं पन्द्रह फूट रास्ता दिलवाया जाये ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो उतर देने के लिए निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर जवाब पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। साथ ही तहसीलदार मण्डावा से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के प्रावधानों के तहत मौका जांच कर रिपोर्ट चाही गई। अनावेदकगण संख्या 02लगायत 06 व 08 लगायत 13 बाद तामिल के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अनावेदक संख्या 01 स्वयं उपस्थित हुए परन्तु जबाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया । अनावेदक संख्या 07 की ओर से जरिये वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया यह कि प्रार्थना की धारा 01 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की धारा 2 स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की धारा 3 जिस प्रकार से दर्ज की गई है व अस्वीकार है। प्रार्थीगण द्वारा बताया गयारास्ता ख.न. 138 तक ही है।डोटेड लाइन में दर्शाया गया रास्ता आम रासता नहीं है। खातेदार अपनी सुविधाा के अनुसार का प्रयोग करता है। प्रार्थना पत्र की धारा 04 जिस प्रकार लिखी गई हो अस्वीकार है। इस धारा में दर्ज ABC स्थान पर कोई रास्ता नहीं है। मात्र खातेदार अपने स्वयं के आने–जाने के लिए अपने खेत में रास्ता बना रखा है। इस धारा में शेष तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार हैं । प्रार्थीगण 53 साल पुरानी कहानी न्यायालय में बताने आये है। 53 साल से प्रार्थी जिस रास्ते का उपयोग करता आ रहा है। वही से रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थीगण के पास दूसरा निकटतम रास्ता उपलब्ध है। तो प्रार्थीगण नया रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थी द्वारा बताया गया रास्ता प्रार्थीगण के खेत की पश्चिमी भूजा को सटकर जा रहा है। इसलिए प्रार्थीगण कुछ भी प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थना की धारा 05 अस्वीकार है। बी बिन्दु पर कोई कटानी रास्ता मौजुद नहीं है। तो चालू व बंद करने का सवाल ही पैदा नही होता है।प्रार्थना पत्र की धारा 6 जिस प्रकार लिखी गई है वह अस्वीकार है। प्रार्थीगण के पास अपने खेत खसरा 118 की

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

पश्चिमी सीमा पर यही रास्ता सटकर जाता है। जो प्रार्थीगण के लिए निकटतम रास्ता है। वैकल्पिक रास्ता प्रार्थीगण के पास उपलब्ध है। इसलिए प्रार्थीगण कोई नया रास्ता प्राप्त काने के अधिकारी नही है।प्रार्थना पत्र की धारा 7 जिस प्रकार लिखी गई है। अस्वीकार है। बी से सी बिन्दु पर कोई कटानी या अन्य रास्ता उपलब्ध ही नहीं है। तो प्रार्थीगण जिस प्रकार रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र की धारा 3 में बताया गया रास्ता घूमकर प्रार्थीगण के खते खसरा 118 की पश्चिमी सीमा के सहारे से निकलता हो जो प्रार्थीगण को निकटतम है और कानूनन वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है तो नया रास्ता नही दिया जा सकता है और सुविधा के लिए नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र जबाब पेश कर निवेदन है कि आवेदक का प्रार्थना पत्र भारी कोस्ट पर खारीज फरमाया जावे ।

तहसीलदार बिसाऊ से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक 56 दिनांक 12.01.2023 के द्वारा रिपोर्ट पेश कि मौके पर यह रास्ता गम सेसू से महनसर की ओर जाता है । यह रास्ता मौके पर चालू है । उक्त रास्ते को खसरा न. 170 के खातेदार द्वारा उत्तरी सीमा के सहारे व पश्चिमी सीमा से लगभग 63 मीटर छोड़ते हुए रास्ते को परिवर्तित कर दिया पर उपस्थित लोगों से पुछताछ करने पर बताया गया कि वादी द्वारा परिवर्तित रास्ते से खसरा नं. 170 की उत्तरी सीमा के चिपते हुए खसरा नं. 171 में आवागमन रास्ते के रूप में किया जा रहा है। यह रास्ता मौके पर परिवर्तित स्थान से आज़ दिनांक तक मौके पर चालू है। आवेदक द्वारा उक्त परिवर्तित रास्ते से ख.न. 171 व 118 में आवागमन हेतु रास्ता चाहा गया है। राजस्व रिकार्ड में नक्शा शीट के अनुसार भी ख.न. 171 व 118 के नजदीक रास्ता यही लगता है। ख.न. 171 व 118 में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता नजदीकी वैकल्पिक रास्ता इसके अलावा नही है।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौराह हुए निवेदन किया कि तहसीलदार मण्डावा बिसाऊ की रास्ता मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता कायम करने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया । वकील अनावेदक ने आवेदक वकील के तथ्यो को विरोध दर्ज कराते हुए निवेदन किया किया आवेदक के पास पहले से रास्ता मौजुद है। अतः प्रार्थना मय हर्जे खर्चे के खारीज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पष्ट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि –

3. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और
4. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहूंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नय मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक के खेत ख.न. 171 में पहुंच बाबत खसरा न. ख.न. 170 में से रास्ता चाहा गया है । प्रार्थी के ख.न. में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार बिसाऊ की जांच रिपोर्ट से होती है। प्रथमदृष्टया प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। अतः तमाम साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण को खेत ख.न. 171 में आने–जाने के लिये निकटतम दूरी खेत खसरा खसरा न. 170 में प्रस्तुत नजरी नक्शें के विन्दु "ए" से "बी" से रास्ते की लम्बाई 63 मी. व चौड़ाई 5 मीटर है जिसका क्षेत्रफल 315 वर्गमीटर जो तहसीलदार बिसाऊ की मौका रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शानुसार दर्शित है,को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार बिसाऊ को निर्देशित किया जाता है कि रास्ते में आने वाली भूमि की डी.एल.सी. की दोगुना दर से राशि आवेदक से वसूल कर अनावेदकगण को दी जावे। तदनुसार राशि जमा होने पर रास्ता राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता कायम किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुप्रिया)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा